| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज<br>20/रेगुलर/25 सरकार/ केशरीलाल | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 9/12/25 | पेशकार सरकार उपस्थित। अप्रार्थिया राधा पत्नी स्वयं या जरिये अधिवक्ता उपस्थित न्यायालय नहीं आने से अप्रार्थिया के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। पत्रावली वास्ते बहस पेशकार सरकार (रसद) में दिनांक 16/12/25 को पेश हो। | |
| 16/12/25 | पेशकार सरकार उपस्थित। बहस सुनी गई। मिसल वास्ते आदेश 23/12/25 को पेश हो। | |
| 23/12/25 | पेशकार सरकार उपस्थित। पत्रावली आज आदेश हेतु पेश हुई। पेशकार सरकार का कथन रहा कि उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली द्वारा दिनांक 14/8/2015 को उचित मूल्य दुकान गुढा गोकुलपुरा का मौका निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान बीपीएल, स्टेट बीपीएल, अन्त्योदय योजना, खाद्य सुरक्षा योजना का कुल स्टाक 89.35 क्विंटल गेहूं स्टाक रजिस्टर में दर्ज था, भौतिक सत्यापन पर कुल मात्रा 128.95 क्विंटल पाई गई। जोकि 39.40 क्विंटल अधिक है। जिससे राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 की शर्तों एवं उपबन्धों की अवहेलना है। | |

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर अहकाम हुक्म की तामील में जारी हुए |
| --- | --- | --- |
| | 20/रेगुलर/25 सरकार/केशरीलाल | |

श्रीमान के अन्तरिम आदेश दिनांक 6/8/25 की पालना में जप्तशुदा 39.40 क्विंटल गेहूं सफल बोलीदाता से सम्पूर्ण राशि प्राप्त कर राजकोष में जमा करवाई जा चुकी है प्रकरण में अब कोई कार्यवाही किया जाना शेष नहीं है अतः प्रार्थनापत्र प्रार्थी स्वीकार किया जावें।

न्यायालय द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया तथा पेशकार सरकार की बहस पर मनन किया गया। जिससे प्रकट है कि प्राधिकार पत्र संख्या 487/90 के उचित मूल्य दुकानदार श्री केशरीलाल, ग्राम पंचायत गुढागोकुलपुरा के मौका निरीक्षण के दौरान स्टाक रजिस्टर में दर्ज विभिन्न योजनाओं के कुल स्टाक 89.55 क्विंटल गेहू के मुकाबले भौतिक सत्यापन में 128.95 क्विंटल गेहूं पाया गया। जो कि स्टाक रजिस्टर में अंकित मात्रा से 39.40 क्विंटल अधिक पाया गया है। इससे राज० खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश, 1976 की अवहेलना किया जाना प्रकट है। ऐसे में जप्तशुदा 39.40 क्विंटल गेहूं को राजसात किये जाने हेतु प्रकरण यहां भिजवाया गया है।

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| | 20/रेगुलर/25 सरकार / केशरीलाल | |
| | दौराने कार्यवाही उचित मूल्य दुकानदार श्री केशरीलाल का देहान्त हो जाने से उसकी उत्तराधिकारी श्रीमती राधा पटवा पत्नी शिवलहरी माहेश्वरी निवासी बून्दी को प्रार्थनापत्र में कायममुकाम बनाया जाकर सुनवाई की गई। अप्रार्थिया दिनांक 02/12/25 को उपस्थित न्यायालय आई, किन्तु आगामी पेशी पर उपस्थित नहीं आने से प्रकरण में एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि अप्रार्थिया को इस कार्यवाही के संबंध में कोई आपत्ति नहीं है। | |
| | उक्त विवेचन से स्पष्ट है कि उचित मूल्य दुकानदार का उक्त कृत्य राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश, 1976 की शर्तों एवं मूल खण्ड 6 एवं उक्त आदेश के तहत जारी प्राधिकार पत्र शर्त सं. 5 व 11 का उल्लंघन है। ऐसे में प्रार्थनापत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है तथा जप्तशुदा 39.50 क्विंटल गेहू को राजसात किये जाने का आदेश दिया जाता है। चूंकि गेहूं खराब होने वाली वस्तु है, इसलिए न्यायालय द्वारा दिनांक 06/8/25 को अन्तरिम निस्तारण हेतु आदेश पारित किया गया था। उक्त आदेश की पालना में जप्तशुदा गेहूं की जर्ये नीलामी | |

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व ता... अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए |
| --- | --- | --- |
| | 20/रैयूतर/25 सरकार/केशरीलाल<br>बोली से प्राप्त राशि 51,220/ रुपये जर्ये चालान राजकोष में जमा कराई जा चुकी थी ऐसी स्थिति में आदेश की पालना हो जाने से पत्रावली पर अब बाद निर्णय कोई कार्यवाही शेष नहीं रही है। पत्रावली फैसले में शुमार होकर दाखिल दफ्तर करवाई जावे। आदेश आज दिनांक 23/12/25 को सुनाया गया।<br>कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट<br>बून्दी | |